डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

1. छुट्टन लाल पुत्र गरेला
2. बुद्दो बेवा दिलसुख
3. हरकेश पुत्र दिलसुख
4. बनीसिंह पुत्र दिलसुख
5. रामगिलास पुत्र दिलसुख
6. बिरमा पुत्रिया दिलसुख
7. बनास पुत्रीया दिलसुख
   समस्त जाति जाटव निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादीगण

बनाम

1. नथोली पुत्र जयदेव
2. मखोली पुत्र जयदेव
3. मोहनदेई बेवा विश्राम
4. प्रकाश चन्द पुत्र विश्राम
5. भागसिंह पुत्र विश्राम
6. हाकिमसिंह पुत्र विश्राम
7. मुकेश पुत्र गिल्लू
8. दिनेश पुत्र गिल्लू
9. गुड्डी पुत्री गिल्लू
10. रामश्री पुत्री गिल्लू
11. धर्मे पुत्र गरेला
    समस्त जाति जाटव निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
12. राजन्ती पत्नि रघुवीर पुत्री गरेला जाटव निवासी ढण्ड तहसील महवा जिला दौसा।
13. मंगली पत्नि भूरमल पुत्री गरेला जाटव निवासी ढण्ड तहसील महवा जिला दौसा।
14. सन्ता पत्नि भूरसिह पुत्री गरेला निवासी कुढावल तहसील टोडाभीम जिला करौली।
15. सब रजिस्ट्रार टोडाभीम जिला करौली।
16. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैक टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा बावत घोषणा खातेदारी, तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 144 / 16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू, रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः छुट्टन लाल पुत्र गरेला जाति जाटव निवासी आखावाडा राहिन बी.आर.के. जी. बी. शाखा टोडाभीम को ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 1513 / 5 रकवा 0.06, 1562 / 5 रकवा 0.06, 1171 / 3 रकवा 0.02 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 0.14 है0 का, बुद्दो पत्नि दिलसुख, हरकेश, बनीसिंह, रामगिलास पि. दिलसुख, बिरमा, बनास पुत्रीया दिलसुख जाति जाटव निवासी आखावाडा राहिन बी.आर.के. जी. बी. शाखा टोडाभीम को ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 1171 / 5 रकवा 0.02, 1513 / 1 रकवा 0.06, 1562 / 1 रकवा

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

0.06, कुल किता 3 कुल रकवा 0.14 है0 का, धर्मे पुत्र गरेला जाति जाटव निवासी आखावाडा राहिन बी.आर.के. जी. बी. शाखा टोडाभीम को ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 1171/1 रकवा 0.02, 1513/3 रकवा 0.06, 1562/3 रकवा 0.06, कुल किता 3 रकवा 0.14 है0 का, राजन्ती पुत्री गरेला जाति जाटव निवासी आखावाडा राहिन बी.आर.के. जी. बी. शाखा टोडाभीम को ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 1171/6 रकवा 0.03, 1513/2 रकवा 0.06, 1562/2 रकवा 0.05, कुल किता 3 कुल रकवा 0.14 है0 का, मंगली पुत्री गरेला जाति जाटव निवासी आखावाडा राहिन बी.आर.के. जी. बी. शाखा टोडाभीम को ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 1171/4 रकवा 0.03, 1513/6 रकवा 0.06, 1562/6 रकवा 0.05 कुल किता 3 कुल रकवा 0.14 है0 का, संता पुत्री गरेला जाति जाटव निवासी आखावाडा राहिन बी.आर.के. जी. बी. शाखा टोडाभीम को ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 1171/2 रकवा 0.04, 1513/4 रकवा 0.05, 1562/4 रकवा 0.06, कुल किता 3 कुल रकवा 0.15 है0 का,खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। नथौली, मखोली पि. जयदेव हि.ब. 1/2 मोहनदेई पत्नि स्व0 विश्राम, प्रकाश चन्द, भागसिंह, हाकिम सिंह पि. विश्राम हि.ब. 1/4, मुकेश, दिनेश पि. गिल्लू, रामश्री पत्नि स्व. गिल्लू, गुड्डी पुत्री गिल्लू हि.ब. 1/4 जाति जाटव निवासी आखावाडा को ख0न0 1171/7 रकवा 0.43, 1198/0.03, 1199/0.04, 1200/0.03, 1201/0.06, 1505/0.26 कुल किता 6 कुल रकवा 0.85 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नथौली, मखोली पि. जयदेव हि.ब. 1/4 मोहनदेई पत्नि स्व0 विश्राम, प्रकाश चन्द, भागसिंह, हाकिम सिंह पि. विश्राम हि.ब. 1/8, मुकेश, दिनेश पि. गिल्लू, रामश्री पत्नि स्व. गिल्लू, गुड्डी पुत्री गिल्लू हि.ब. 1/8, बिला रहन, छुट्टनलाल, धर्मे पि. गरेला, राजन्ती, मंगली, संता पुत्रीया गरेला, हि.ब. 5/12, बुद्दो पत्नि दिलसुख, हरकेश, बनीसिंह, रामगिलास पि. दिलसुख, बिरमा, बनास पुत्रीया दिलसुख हि.ब. 1/12, जाति जाटव निवासी आखावाडा राहिन बी.आर.के. जी. बी. शाखा टोडाभीम आराजी ख0न0 1186 रकवा 0.07 किस्म गै0मु0 की सयुक्त खातेदारी मे रहेगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा।

निज......—......मुबलिंग..............—......बाबत..........—..........खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह..........—......फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.02.2020 को जारी की गई।

दस्तखत उपजिला कलक्टर
ओहदा टोडाभीम (करौली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 144/16

तारीख रजू:– 21.12.2016

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. छुट्टन लाल पुत्र गरेला
2. बुद्दो बेवा दिलसुख
3. हरकेश पुत्र दिलसुख
4. बनीसिंह पुत्र दिलसुख
5. रामगिलास पुत्र दिलसुख
6. बिरमा पुत्रिया दिलसुख
7. बनास पुत्रीया दिलसुख

समस्त जाति जाटव निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादीगण

बनाम

1. नथोली पुत्र जयदेव
2. मखोली पुत्र जयदेव
3. मोहनदेई बेवा विश्राम
4. प्रकाश चन्द पुत्र विश्राम
5. भागसिंह पुत्र विश्राम
6. हाकिमसिंह पुत्र विश्राम
7. मुकेश पुत्र गिल्लू
8. दिनेश पुत्र गिल्लू
9. गुड्डी पुत्री गिल्लू
10. रामश्री पुत्री गिल्लू
11. धर्मे पुत्र गरेला

    समस्त जाति जाटव निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

12. राजन्ती पत्नि रघुवीर पुत्री गरेला जाटव निवासी ढण्ड तहसील महवा जिला दौसा।
13. मंगली पत्नि भूरमल पुत्री गरेला जाटव निवासी ढण्ड तहसील महवा जिला दौसा।
14. सन्ता पत्नि भूरसिह पुत्री गरेला निवासी कुढावल तहसील टोडाभीम जिला करौली।
15. सब रजिस्ट्रार टोडाभीम जिला करौली।
16. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैक टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा बावत घोषणा खातेदारी, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज.

उपस्थिति :– 1.सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (वादीगण)

2. श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (प्रतिवादीगण)

निर्णय दिनांक:– 28.02.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आखावाडा स्थित आराजी ख0न0 1171/0.59, 1186/0.07, 1198/0.03, 1199/0.04, 1200/0.03, 1201/0.06, 1505/0.26, 1513/0.35, 1562/0.34, कुल किता 9 कुल रकवा 1.77 है0 मे

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

वादीगण व प्रतिवादीगण न0 11 ता 14 सयुक्त परिवार के सदस्य है जो खातेदार गरेला पुत्र मोहरपाल की संतान है वर्णित आराजीयात मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण 11 ता 14 के बुजुर्ग गरेला पुत्र मोहरपाल हिस्सा 1/2 के नाम खातेदारी दर्ज है गरेला के कायम मुकाम वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण 11 ता 14 है। गरेला की मृत्यु के पश्चात वादी न0 1 का 1/12 हिस्सा, वादी न0 2 ता 7 का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी न0 13 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 14 का 1/12 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार है। तथा शेष आराजीयात प्रतिवादी न0 1 ता 10 के नाम दर्ज है।

उक्त आराजीयात मुतज्रिका खातेदार गरेला के फौत हो जाने के पश्चात गरेला के कायम मुकाम वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण न0 11 ता 14 है। जो मृतक गरेला के तर्के पर काबिज है। वादीगण ने प्रतिवादी न0 15 से गरेला की मृत्यु के पश्चात विरासत के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 11 ता 14 के हक मे नामांतकरण खोलने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार टोडाभीम द्वारा विरासत का नामांतकरण खोलने मे टालम टोल करने के कारण दावा बावत घोषणा खातेदारी का पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त आराजीयात मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर बटवारा कर रखा है। लेकिन विधिवत बटवारा नही होने के कारण आये दिन वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद बना रहता है। प्रतिवादी न0 11 द्वारा अपने हिस्से की आराजी मे बोर किया हुआ है जिसमे विधुत कनेक्शन हो रहा है। जिसका उपयोग–उपभोग कर रहा है। प्रतिवादीगण से विवाति आराजी का बटवारा कराने से इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी न0 11 द्वारा वादीगण को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल करने की धमकी दी। इसलिये दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है।

दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत घोषणा खातेदारी डिक्री किया जावे कि आराजी ख0न0 1171/0.59, 1186/0.07, 1198/0.03, 1199/0.04, 1200/0.03, 1201/0.06, 1505/0.26, 1513/0.35, 1562/0.34, कुल किता 9 कुल रकवा 1.77 है0 मे मृतक खातेदार गरेला पुत्र मोहरपाल के जायज कायम मुकाम वादीगण एवं प्रतिवादीगण न0 11 ता 14 होने से मृतक गरेला के हिस्सा 1/2 मे से वादी न0 1 को 1/12 हिस्से का, वादी न0 2 ता 7 को 1/12 हिस्से का, तथा प्रतिवादी न0 11 ता 14 प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा गरेला पुत्र मोहरपाल के नाम से प्रतिवादी न0 16 के यहॉ से लिये गये लोन को प्रतिवादी न0 11 के 1/12 हिस्से पर रहन का इन्द्राज किया जावे। शेष वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से से लोन से मुक्त किया जावे। तथा आराजीयात का तकास्मा कराये जाने हेतु तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त कर बटवारा स्कीम मगवाई जावे। तथा प्रतिवादीगण 11 ता 14 को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वादीगण के हिस्से 1/6 के कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1 ता 10 एवं 12 से 16 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये इसलिये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 11 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जबाव पेश किया कि विरासत के नामांतकरण को खोलने के संबध मे वादपत्र है विरासत का नामांतकरण खोलना आवश्यक है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता स्व0 गरेला ने बैक से लोन प्राप्त किया था उनके जीवनकाल मे उपयोग उपभोग किया था। प्रतिवादी न0 11 ने उक्त बैक लोन का उपयोग नही किया था। गरेला के सभी वारिसान की जिम्मेदारी बैक लोन चुकाने की जिम्मेदारी है वादीगण का यह कथन बिल्कुल गलत है कि प्रतिवादी न0 11 बैक लोन चुकाने के लिये जिम्मेदार है। विरासत के नामांतकरण से संबधित प्रकरण होने से यह वादपत्र खारिज होने योग्य है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। यह सही है कि मृतक खातेदार गरेला के वारिसान के नाम विरासत का नामांतकरण दर्ज होना है। किन्तु वादीगण ने यह वादपत्र घोषणा खातेदारी एवं तकास्मा, स्थायी

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा के परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत किया है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मे मृतक खातेदार गरेला के वारिसान के रूप मे प्रस्तुत पक्षकारान के अलावा यदि कोई अन्य पक्षकार होते तो प्रतिवादी इसका प्रतिवाद करते इसलिये मृतक गरेला के वारिसान के रूप मे वादीगण एवं प्रतिवादी न0 11 ता 14 को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये मृतक खातेदार गरेला द्वारा लिये गये बैक लोन को उसके समस्त वारिसान ही लोन चुकता करने के लिये उत्तरदायी होने का निर्णय करते हुये दावा प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वकील उभयपक्ष ने अवलोकन करते हुये बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया। वकील उभयपक्ष की सहमति से बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः छुट्टन लाल पुत्र गरेला जाति जाटव निवासी आखावाडा राहिन बी.आर. के. जी. बी. शाखा टोडाभीम को ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 1513/5 रकवा 0.06, 1562/5 रकवा 0.06, 1171/3 रकवा 0.02 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 0.14 है0 का, बुद्वो पत्नि दिलसुख, हरकेश, बनीसिंह, रामगिलास पि. दिलसुख, बिरमा, बनास पुत्रीया दिलसुख जाति जाटव निवासी आखावाडा राहिन बी.आर.के. जी. बी. शाखा टोडाभीम को ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 1171/5 रकवा 0.02, 1513/1 रकवा 0.06, 1562/1 रकवा 0.06, कुल किता 3 कुल रकवा 0.14 है0 का, धर्मे पुत्र गरेला जाति जाटव निवासी आखावाडा राहिन बी.आर.के. जी. बी. शाखा टोडाभीम को ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 1171/1 रकवा 0.02, 1513/3 रकवा 0.06, 1562/3 रकवा 0.06, कुल किता 3 रकवा 0.14 है0 का, राजन्ती पुत्री गरेला जाति जाटव निवासी आखावाडा राहिन बी.आर.के. जी. बी. शाखा टोडाभीम को ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 1171/6 रकवा 0.03, 1513/2 रकवा 0.06, 1562/2 रकवा 0.05, कुल किता 3 कुल रकवा 0.14 है0 का, मंगली पुत्री गरेला जाति जाटव निवासी आखावाडा राहिन बी.आर.के. जी. बी. शाखा टोडाभीम को ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 1171/4 रकवा 0.03, 1513/6 रकवा 0.06, 1562/6 रकवा 0.05 कुल किता 3 कुल रकवा 0.14 है0 का, संता पुत्री गरेला जाति जाटव निवासी आखावाडा राहिन बी.आर.के. जी. बी. शाखा टोडाभीम को ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 1171/2 रकवा 0.04, 1513/4 रकवा 0.05, 1562/4 रकवा 0.06, कुल किता 3 कुल रकवा 0.15 है0 का,खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। नथौली, मखोली पि. जयदेव हि.ब. 1/2 मोहनदेई पत्नि स्व0 विश्राम, प्रकाश चन्द, भागसिंह, हाकिम सिंह पि. विश्राम हि.ब. 1/4, मुकेश, दिनेश पि. गिल्लू, रामश्री पत्नि स्व. गिल्लू, गुड्डी पुत्री गिल्लू हि.ब. 1/4 जाति जाटव निवासी आखावाडा को ख0न0 1171/7 रकवा 0.43, 1198/0.03, 1199/0.04, 1200/0.03, 1201/0.06, 1505/0.26 कुल किता 6 कुल रकवा 0.85 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नथौली, मखोली पि. जयदेव हि.ब. 1/4 मोहनदेई पत्नि स्व0 विश्राम, प्रकाश चन्द, भागसिंह, हाकिम सिंह पि. विश्राम हि.ब. 1/8, मुकेश, दिनेश पि. गिल्लू, रामश्री पत्नि स्व. गिल्लू, गुड्डी पुत्री गिल्लू हि.ब. 1/8, बिला रहन, छुट्टनलाल, धर्मे पि. गरेला, राजन्ती, मंगली, संता पुत्रीया गरेला, हि.ब. 5/12, बुद्वो पत्नि दिलसुख, हरकेश, बनीसिंह, रामगिलास पि. दिलसुख, बिरमा, बनास पुत्रीया दिलसुख हि.ब 1/12, जाति जाटव निवासी आखावाडा राहिन बी.आर.के. जी. बी. शाखा टोडाभीम आराजी ख0न0 1186 रकवा 0.07 किस्म गै0मु0 की सयुक्त खातेदारी मे रहेगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

28/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 14:58:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: